विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।

क्रिमिनल केस संख्या 1065/2019

दिनांक–15.12.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अतीक अहमद जिला कारागार सावरमती अहमदाबाद में निरूद्व है। जरिए वाट्सअप विडियो काल से न्यायालय उपस्थित आये, नियत तिथि से अवगत कराया गया। अभियुक्त दयानन्द जिला कारागार देवरिया में निरूद्व है। जरिए वाट्सअप विडियो काल से न्यायालय उपस्थित आये, नियत तिथि से अवगत कराया गया।अभियुक्त फारूख फतेहपुर जिला कारागार में निरूद्व है। जरिए दूरभाष नियत तिथि से अवगत कराया गया। अभियुक्तगण पवन सिंह, इरफान, महेन्द्र, नितेश एवं योगेश जमानत पर है। पवन सिंह, योगेश कुमार, इरफान एवं महेन्द्र न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्त नितेश की ओर से अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र आया आज के लिए स्वीकृत। शेष अभियुक्तगण जफरउल्ला, गुलाम सरवर, जकी अहमद, आलमगीर, वलाकत अली, मुख्तार, गुलाम नईमुद्दीन जिला कारागार लखनऊ में निरूद्ध है जरिए वाट्सअप विडियो काल न्यायालय उपस्थित आये। नियत तिथि से अवगत कराया गया।

सीबीआई की ओर से विवेचक नीरज कुमार वर्मा एवं नायब कोर्ट उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण इरफान, जकी अहमद, जफर उल्ल, मोहम्मद फारूख, गुलाम मोईनुद्दीन सिद्दीकी की ओर से डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र दाखिल किया जा चुका है और शेष अन्य अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र अभी तैयार नहीं हो पाया है इसी सप्ताह न्यायालय में दाखिल कर देंगे।

जिन अभियुक्तगण का डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र नहीं आया है यदि वह डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र डालना चाहते है तो वह नियत दिनांक 22.12.2022 के पूर्व न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22.12.2022 को पेश हो। अभियुक्तगण जरिए वीसीआर जेल से तलब हो।

विशेष न्यायाधीश एन्टीकरप्शन,
सीबीआई पश्चिम, लखनऊ।